मानवाधिकार प्रकरण

संख्या– 39 /पॉच–8–14–एच0आर0(16)/2013टी0सी0

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख अधीक्षक, मण्डलीय चिकित्सालय, उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
3–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–8 **लखनऊ : दिनॉक 09 जनवरी, 2014**

विषयः– चिकित्सालय में आने वाली गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त रूप से एवं समय से चिकित्सा सुविधा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

गर्भवती महिलाओं को कतिपय सरकारी चिकित्सालयों द्वारा भर्ती न करके उन्हें वापस कर दिये जाने से प्रसव अस्पताल के बाहर होने की शिकायते शासन के संज्ञान में आयी हैं। उदाहरण स्वरूप जनपद बहराइच के जिला अस्पताल द्वारा श्रीमती इन्द्रकली पत्नी श्री ननकू को भर्ती न करने एवं चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण सड़क पर ही प्रसव होने की शिकायत श्री डिसूजा, निवासी मुम्बई द्वारा दिनांक 05.12.2012 को माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के समक्ष की गयी, जिसको मा0 आयोग द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम सन्दर्भन इकाई/जिला चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400 व शहरी क्षेत्र में रू0 1000 एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500 सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती है। उनको सुरक्षित प्रसव/संस्थागत प्रसव की सुविधायें उपलब्ध करवाने में इन्हीं की क्षेत्र की चुनी गयी महिला कार्यकर्ता "आशा" सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारण्टेड कैशलेस डिलेवरी सेवा प्रदान करना है।

3– प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में उक्त योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। उक्त के बावजूद विभिन्न माध्यमों से यह शिकायतें संज्ञान में आ रही है कि गर्भवती महिला को अस्पताल द्वारा भर्ती नहीं किया गया, फलस्वरूप प्रसव अस्पताल के बाहर हो गया। इस प्रकार की घटनाओं से न केवल विभाग की छवि धूमिल हो रही है अपितु प्रदेश सरकार की गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव कराने के उद्देश्य की पूर्ति में भी कठिनाई आ रही है।

–2/....

4— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/संयुक्त चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्साधिकारियों की उपस्थिति 24 घण्टे सुनिश्चित की जाय। गर्भवती महिलाओं (प्रसूता) के चिकित्सालय में आते ही उसे चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त चिकित्सकीय सुविधाएं तत्काल प्रदान की जायं ताकि प्रसव हेतु अस्पताल में आयी गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा मिल सके एवं उन्हें अनावश्यक रूप से चिकित्सालय से बाहर न किया जाय।

5— यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये। भविष्य में गर्भवती महिलाओं (प्रसूता) के उपचार में लापरवाही बरतने या चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधा प्रदान किये बिना वापस करने की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

9/1/14

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 51 (1)/पांच—8—2013—तद्दिनांक

प्रतिलिपि—

1— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य ईकाईयों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने/शिकायतों के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

2— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने—अपने मण्डलों के सरकारी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य ईकाईयों में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं शिकायतों के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कर उसकी पाक्षिक रिपोर्ट महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को उपलब्ध करायें।

3— प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्व संबंधित को उक्त आदेश ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 सारिका मोहन)
विशेष सचिव।

08.01.14

D:\SECTION-11\G O.doc